NYAYA SADAN

Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA), Near A.G. Office, Doranda,
Ranchi- 834002
Phone: 0651-2481520 (O), 2482392, Fax: 2482397, E-mail – jhalsaranchi@gmail.com

PATRON-IN-CHIEF
-Cum-
EXECUTIVE CHAIRMAN
Justice D.N. Patel
Hon'ble Acting Chief Justice
Jharkhand High Court

MEMBER SECRETARY
Arun Kumar Rai
(Principal District Judge)

Ref No: JHALSA/ 907-908
Dated: 25/4/18

To,

The Labour Commissioner,
Jharkhand

Sub: SLP No.150/2012 (Shramjeevi Mahila Samiti Vs State of NCT of Delhi)

Sir,

Kindly refer to your letter No.746 dt 10-4-18 on the above noted subject.

The matter regarding utilization of Para Legal Volunteers for purpose of identifying the domestic workers and getting them registered, as also their involvement in publicity of govt beneficial schemes was placed before His Lordship Hon'ble Executive Chairman, JHALSA.

His Lordship has been pleased to approve the same. Accordingly your goodself may further liaison with the District Legal Services Authorities for needful in the matter.

Thanking You.

Yours faithfully,

25/4/18

(Arun Kumar Rai)
Member Secretary

Encl: As above
Copy to:

All the Principal District Judges cum Chairman, DLSAs: For information and compliance. Request letter of Labour Commisioner, Jharkhand alongwith SOP is enclosed for needful at your end.

25/4/18

Member Secretary

संख्याः–02 / श्रमा0का0–असं0कर्म0–(घरेलू– काम0)–03 / 2018 श्र0नि0 746

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(श्रमायुक्त का कार्यालय, Fax No-0651-2481013, E-Mail-labcomjhr@gmail.com)

प्रेषक,

1574
10/4/18

श्रमायुक्त,
झारखण्ड।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झालसा, न्याय सदन,
राँची।

राँची, दिनांक 10.04.18

विषयः– SLP No-150/2012 श्रमजीवी महिला समिति बनाम् NCI Delhi एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांकः– 11.01.2018 के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में SLP No-150/2012 श्रमजीवी महिला समिति बनाम् NCI Delhi एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांकः– 11.01.2018 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में दिनांकः– 28.03.2018 को हुयी बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में घरेलू कामगारों को असंगठित कर्मकारों के रूप में निबंधित कर योजनाओं का लाभ देने हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया का प्रारूप संलग्न है।

बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में DLSA के Paralegal Volunteers द्वारा इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाना है। अतः अनुरोध है कि इसपर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन
07/04/18
श्रमायुक्त,
झारखण्ड।

10/4/18

घरेलू कामगारों को असंगठित कर्मकारों के रुप में निबंधित कर उन्हें कर्णांकित योजनाओं का लाभ देने हेतु मानक परिचालन–प्रक्रिया Standard Operating Procedure (SOP) का निरुपण

(1) असंगठित कर्मकार के रूप में घरेलू कामगार की परिभाषाः–

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा– 2 की उपधारा– (ढ) (ड) में निहित प्रावधानों के आलोक में घरेलू कर्मकार असंगठित कर्मकार की श्रेणी में आते हैं तथा सभी घरेलू कर्मकारों को चिन्हित कर असंगठित कामगार के रूप में निबंधित कर असंगठित कर्मकारों के लिये संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने की कार्रवाई अपेक्षित है।

घरेलू कर्मकार को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में मजदूरी कर्मकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसकी परिभाषा निम्नानुसार हैः–

" मजदूरी कर्मकार " से किसी नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी ठेकेदार के माध्यम से असंगठित सेक्टर में, चाहे कार्यस्थल कोई भी हो, पारिश्रमिक के लिए नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह अनन्य रूप से किसी एक नियोजक या एक या अधिक नियोजकों के लिए नियोजित हो, चाहे नकद मजदूरी मिलती हो या वस्तु रूप में, चाहे वह आस्थानी कर्मकार के रूप में या अस्थायी या दैनिक मजदूर के रूप में अथवा प्रवासी कर्मकार के रूप में या घरेलू कर्मकारों सहित गृहस्थियों द्वारा नियोजित कर्मकार के रूप में और ऐसी रकम की माकिस मजदूरी पर लगा हो जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या रारूज्सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए। "

(2) घरेलू कामगारों के निबंधन प्रक्रिया :–

(i) घरेलू कामगारों की बहुसंख्यक आबादी शहरी क्षेत्र के घरों में कार्यरत है। अतः श्रमिक संघों, गैर सरकारी सगठनों एवं DLSA के Paralegal Volunteers के सहयोग से उनके आवासन एवं कार्यस्थलों को चिन्हित करना।

(ii) जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक के द्वारा घरेलू कामगार को निबंधित करने, निबंधित कामगारों को विभिन्न योजनाओं से लाभन्वित करने तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रचार/जागरूकता के लिये DLSA से Paralegal Volunteer को माँग करेंगे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें आवश्यक सहयोग करेंगे।

(iii) DLSA के सहयोग से श्रमिक संघों/गैर सरकारी संगठनों/ Paralegal Volunteers को चिन्हित करना तथा उन्हें घरेलू कामगारों की निबंधन प्रक्रिया एवं निबंधन से होने वाले लाभ के प्रति संवेदनशील बनाने की कार्रवाई करना।

(iv) चिन्हित स्थानों पर विभिन्न प्रचार–माध्यमों से एवं श्रमिक संघों/गैर सरकारी संगठनों/ Paralegal Volunteers की मदद से निबंधन की अर्हता एवं निबंधनोपरान्त होने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी देना।

(v) विभिन्न निबंधन हेतु कैम्प लगाने की कार्रवाई करना।

(vi) कैम्प लगाने के पूर्व उन क्षेत्रों में माईकिंग करना।

(vii) कैम्प स्थल पर उपस्थित घरेलू कामगारों को विहित प्रपत्र में फॉर्म भरवाने में सहयोग करना। उनका मोबाईल संख्या, आधार संख्या, बैंक खाता की विवरणी IFSC Code इत्यादि की सही–सही विवरणी भरवाना।

(viii) घरेलू कर्मकार में प्रमाणीकरण में आ रही कठिनाई को मद्देनजर असंगठित कर्मकार अधिनियम, 2008 की धारा–10 की उपधारा– (1) (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वअभिप्रमाणन के आधार पर ही घरेलू कर्मकार मानते हुये निबंधन की कार्रवाई करना।

(ix) सभी संग्रहित आवेदनों को Digitaze कराकर डाटा श्रमाधान पोर्टल पर 15 दिनों के भीतर अपलोड कराना ताकि ऑन–लाईन परिचय पत्र निर्गत हो सके।

(x) निबंधनोपरान्त DLSA के Paralegal Volunteers की मदद से कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना तथा लाभ हेतु आवेदन प्राप्त करना।

(xi) निबंधन पदाधिकारी के द्वारा लाभ हेतु प्राप्त आवेदन का एक सप्ताह के भीतर सत्यापन करना कि वास्तव में आवेदक अभी भी असंगठित कर्मकार है तथा आवेदन की स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी को भेजने की कार्रवाई करना।